प्र.पी.-109

D-153

एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यवाही पंचनामा

थाना– एसीबी0 / इओडब्ल्यू,रायपुर इकाई– एसीबी0रायपुर, जिला– रायपुर(छ0ग0)
अपराध क्रमांक– 09 / 2015 धारा– 13(2), 13(1)डी पी0सी0एक्ट 1988, 109, 120बी भा.द.वि.

कार्यवाही प्रारंभ करने का दिनांक व समय – 13.02.2015 के 13.00 बजे

कार्यवाही का स्थान – मंदिर हसौद स्थित राज्य भण्डार गृह निगम का गोदाम नंबर–12 ई

नाम गवाहान जिनके समक्ष जप्त किया गया

(1) श्रीमती सुमन पटेल पति श्री मनोज पटेल, उम्र 33 साल, निवासी– मकान नंबर 9 सेक्टर–2, अवंति विहार, रायपुर (कनिष्ठ तकनीकी सहायक छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) मो0नं0–8871001711

(2) श्री संदीप मीका पिता श्री जार्ज मार्शल मीका, उम्र 33 साल, निवासी– जिला अस्पताल के पीछे पण्डरी (संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम) रायपुर, मो0नं0–9826672562

(3) श्री राजेन्द्र कुमार यदु पिता श्री अभयराम यदु, उम्र 55 साल, निवासी– शिक्षक कालोनी डगनिया रायपुर (वरिष्ठ सहायक, छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम)

विवेचक का नाम – नवनीत पाटिल, निरीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर

विवरण

उपरोक्त अपराध की विवेचना के संदर्भ में प्राप्त निर्देशानुसार मंदिर हसौद स्थित राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम में पहुंच कर गोदाम में छ0ग0 शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किये जाने वाले अमृत नमक के भण्डार स्थान के संबंध में गोदाम प्रभारी श्री मनोरथ सिंह गुर्जर पिता श्री विशाल सिंह उम्र 46 साल, तकनीकी सहायक प्रभारी, हाल मुकाम– ए/401 भाटिया रेसीडेन्सी, मंगला रोड, बिलासपुर, छ.ग. स्थायी पता– ग्राम जिगनी, तहसील व जिला मुरैना मोबाईल नंबर– 9407609396 द्वारा बताये अनुसार गोदाम नंबर–12 ई की जॉच की गई जॉच पर गोदाम में 20 × 30 फीट आकार में 16 बोरों की उंचाई में कुल 6 थप्पियों (स्टेक) में छ0ग0 अमृत नमक के 1–1 किलो के करीब 50 पैकेट के बोरे जिनमें से प्रत्येक थप्पियों में से 4–4 बोरों में से 1–1 पैकेट नमक सैम्पलिंग हेतु निकाला गया। उपरोक्त सभी 33 पैकेट नमक की सैम्पलिंग वजन, रंग, आयोडीन की मात्रा, पॉलिथीन की गेज नापकर छ0ग0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी सहायक श्रीमती सुमन पटेल से मौके पर कराया गया। उक्त पैकेट में सैम्पलिंग पर निम्नानुसार विवरण प्राप्त हुये :– (1) 26 पैकेट में निर्माता रमेश सॉल्ट ट्रेडर्स स्टेशन रोड हलवद सुरेन्द्र नगर जिनमें

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देशमुख)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

Suman 13-2-2015 13.02.15 13/02 13-2-15

प्रत्येक पैकेट में आयोडीन की मात्रा 15–30 पीपी, पॉलिथीन का गेज औसत 40–50 वजन औसतन 1 किलो से 1.050 किलो (2) 5 पैकेट में निर्माता सूरज आयोडाईज कंपनी खाराघोड़ा गुजरात जिनमें प्रत्येक पैकेट में आयोडीन की मात्रा 15–30 पीपी, पॉलिथीन का गेज औसत 40–50 वजन औसतन 1 किलो से 1.050 किलो (3) 2 पैकेट में निर्माता जगन्नाथ इन्डस्ट्रीज प्लॉट नंबर–104–5 जी.आई.डी.सी. हलवद 363330 खाराघोड़ा गांधीधाम जिनमें प्रत्येक पैकेट में आयोडीन की मात्रा 15–30 पीपी, पॉलिथीन का गेज औसत 40–50 वजन औसतन 1 किलो से 1.050 किलो पाया गया। प्रत्येक पैकेट को पृथक–पृथक सीलबन्द कर प्रमाण पत्र को पैकेट पर चस्पा किया गया। उपरोक्तानुसार सभी 33 पैकेट जप्त कर कब्जे में लिये गये।

जप्ती कार्यवाही पश्चात विवेचना कार्यवाही 17.00 बजे स्थगित की गई।

पंचगवाह के हस्ताक्षर | हस्ताक्षर गोदाम प्रभारी | हस्ताक्षर विवेचक

(1) [signature] 13.2.2015
(2) [signature] 13-02-15
(3) [signature] 13/02/15

[signature] 13-2-15

[signature] 13.2.15

सत्यापित प्रति
[signature]
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)